न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : **राहुल श्रीवास्तव** (आई0ए0एस0)

वाद सं0 : 553 सन 2018

अनवान :–

1. मालाराम पुत्र सुगनाराम जाति मेधवाशी निवासी खुईया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादी

दावा इस्तकरार हक स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत 88 ,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 23/09/25

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा खूईया के खाता संख्या 73 के साबिका खसरा न0 147 मीन की 25.00 बीधा भूमि स्थित है जिसके सुगना वल्द कुशला जाति चमार निवासी खुईया खातेदार काश्तकार है।

रोही मौजा खुईया के साबिका खसरा न0 147 मीन की 25.00 बीधा हाल खसरा न0 154 की 20.05 बीधा भूमि में भू0प्रबन्ध विभाग द्वारा परिर्वतन व पैमुद की जा चुकी है रोही मौजा खुईया की 25.00 बीधा भूमि के वादी के पिता कब्जा काश्त की भूमि थी वादी के पिता के फोत हो चुकी है एवं वर्तमान में उक्त भूमि वादी के कब्जा काश्त में चली आ रही है एवं वादी के पिता रोही मोजा खुईया के साबिका खसरा न0 147 मीन की 25 बीधा भूमि पर कब्जा काश्त में थी एवं वादी के पिता उक्त भूमि को काश्त करते आ रहे है वादी के पिता रोही मौजा खुईया के साबिका खसरा न0 147 मीन की 25.00 बीधा भूमि कब्जा काश्त में है परन्तु भू0प्रबन्ध विभाग द्वारा वादी के पिता के नाम दर्ज भूमि हाल खसरा न0 154 की 5.1230हैक यानी 20.05 बीधा में परिर्वतन पैमुद कर दी एवं वादी के पिता के नाम दर्ज 25. बीधा भूमि में से हाल 4.15 बीधा भूमि भू0प्रबन्ध विभाग द्वारा कतई गलत तौर से कम दर्ज की गई है जिसे वादी दुरूस्त करवाकर अपने नाम खसरा न0 154 की 25.00 बीधा भूमि दर्ज करवा पाने का अधिकारी है वादी रोही मौजा खुईया के खाता संख्या 244/322 के खसरा न0 154 की 25 बीधा भूमि ही कब्जा काश्त में है भू0प्रबन्ध विभाग द्वारा कतई गलत तौर से भूमि कम की गई है जबकि भू0प्रबन्ध विभाग को भूमि कम करने का अधिकार नही था इसलिये वादी दुरूस्त करवाने का अधिकारी है।

अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जाकर रोही मौजा खुईया के खाता संख्या 244/322 के खसरा न0 154 की 6.3250हैक भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर प्रति[illegible] क[illegible] जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 की और से पेरोकार राज [illegible] वादी के वाद को अस्वीकार करते हुए जबाब पेश किया की वाद [illegible] सही तौर से दर्ज की [illegible] शेष भूमि पर वादी का कोई हक हिस्सा नही है वर्तमान म[illegible] भूमि उपनिवेशन क्षेत्र [illegible] आती है उपविशन क्षेत्र की भूमि को किमतन आवंटन किया जा सकता है निशुल्क खातेदार अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी नही है जबाब शामिल मिसल किया जाकर वादी से साक्ष्य लिये गये

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.10.15 16:37:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी Rahul
नोहर

वादी ने साक्ष्यवादी में केवल अपना शपथ पत्र पेश किया एव फर्द दस्तावेजात अनुसार जमाबन्दी/गिरदावरीया पेश की गई हमने उभयपक्षो की बहस सुनी गई ।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया वादी का कथन है कि रोही मौजा खुईया के साबिका खसरा न0 147मीन की 25.00 बीधा भूमि उसके पूर्वजों /पिता सुगना वल्द कुशला के कब्जा काश्त की खातेदारी भूमि थी जिनके देहान्त होने पर वाद भूमि वादी के कब्जा काश्त में चली आ रही है भू0प्रबन्ध विभाग ने साबिका खसरा न0 147 की 25.00 बीधा भूमि को हाल खसरा न0 154 में परिर्वतन किया जाकर 6.3250हैक के स्थान पर 5.1230हैक भूमि दर्ज कर दी अर्थात 4.05 बीधा भूमि कम दर्ज कर दी जिसे बतौर खातेदार दर्ज करवाना चाहते है

रोही मौजा खुईया के साबिका खसरा न0 147 की 25.00 बीधा भू0प्रबन्ध विभाग से पूर्व कच्चे बीधा में दर्ज थी भु0प्रबन्ध विभाग ने पैमाईश के दौरान कच्चे बीधा को पक्के बीधो में परिर्वतन कर हाल खसरा में परिर्वतन कर पैमुद किया गया था अर्थात वादी के कब्जे काश्त की जितनी भूमि के पक्के बीधा बने उतनी भूमि उनके नाम दर्ज कर दी थी जो सही एवं विधिवत दर्ज की गई है ।

वादी अपने कब्जा काश्त की भूमि के पास राजकीय भूमि स्थित होगी जिसे कम भूमि दर्ज होने के कथनो की आड में हडप करना चाहता है तथा वादी ने भी ऐसा कोई साक्ष्य पेश नही किया जिससे यह साबित हो सके की वादी के वर्तमान में कितनी भूमि कब्जा काश्त में है वादी ने केवल अपनी खातेदारी भूमि की जमाबन्दी पेश की गई है जो भूमि अपने नाम दर्ज करवाना चाहता है उससे सम्बधित किसी प्रकार का कोई दस्तावेजात पेश नही किया गया जिससे यह ज्ञात नही होता की वादी के द्वारा चाहे जाने वाली भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में किसके नाम दर्ज है मात्र कथनो के आधार पर वादी किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार वादी के पूर्वजो के जितनी भूमि कब्जा काश्त में थी उतनी भूमि उनके नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है शेष भूमि का कोई भी दस्तावेजात पेश नही किया गया जिससे यह साबित हो सके वर्तमान राजस्व रिकार्ड में भूमि किसके नाम दर्ज है एवं वर्तमान स्थिति क्या है मात्र कथनो के आधार पर वादी कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है वादी का वाद साक्ष्य सबुतो के अभाव में खारिज योग्य है।

अतः वादी का वाद साक्ष्य सबुतो के अभाव में साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता है व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 23/09/25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

Rahul.

(राहुल श्रीवास्तव IAS)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.10.15 16:37:21 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. मालाराम पुत्र सुगनाराम जाति मेधवाशी निवासी खुईया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 553 सन 2017 निर्णय दिनांक– 23/09/25

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतों के अभाव में साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता है व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 23/09/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

Rahul.

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.10.15 16:37:21 IST
Reason: SelfAttested